Shedule XLII-Form No.(J) 12

FORM OF HEADING OF DEPOSITION.

ST. Case No. 358/2015

Deposition of Witness No. 2 for the Prosecution aged about 45 Years, taken on Solemn affirmation on the day 20th of September, 2019.

My Name JNAN BHARTI .

I am Wife of SUDHIR KUMAR RANJAN .

My age is 45 Years. I am by Religion Hindu .My Nationality is Indian

My home is at: Mauza :- DURGA ASTHAN , P.S.:- NAYARAM NAGAR District:- MUNGER I reside at present in: Mauza:- MAHILA P.S. P.S. :- JAMUI District :- JAMUI , Where I am SHO MAHILA P.S. JAMUI

ON OATH:

मुख्य परीक्षणः–

01. नाथनगर ललमटिया थाना कांड संख्या 247/2013 का अनुसंधान का भार मैंने स्वयं दिनांक 02.09.2013 को ललमटिया ओपी के थानाध्यक्ष से ग्रहण किया था। लिखित आवेदन पर दिया गया इर्न्डोसमेंट मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। इसे पहचानती हूँ। इसे प्रदर्श संख्या 1 अंकित किया जाता है।

02.सर्वप्रथम मैंने लिखित आवेदन को केस डायरी में उतारा। वादी का पुनः बयान लिया। घटना स्थल का निरिक्षण स्थानीय लोगो के समक्ष किया। इस कांड का घटनास्थल ललमटिया ओपी के अंतर्गत मौजा छजजुपुर मारूफ कबीरपुर खाता 68 खेसरा 1471 की जमींन है। यह जमींन हलीम खान से शहनवाज उर्फ सिकन्दर ने खरीदा था। ऐसा बताया गया है। जमींन का रकबा आधा कठ्ठा से कुछ कम है। इसी जमींन पर मो0 सिकन्दर मजदुर रखकर लैट्रिंग का टंकी के लिए गढ्ढा खोदवा रहे थे। इसी कम में दोनो पक्षो के बीच मारपीट हो गई। घटनास्थल का चौहद्दी उत्तर में शहनवाज उर्फ सिकन्दर का बॉन्ड्री से घेरा हुआ जमींन, दक्षिण–अहमद हुसैन का चार फिट उँचा बान्ड्रीवॉल से घिरा हुआ जमींन, पूरब– आठ फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, पश्चिम मो0 नौशाद का करकट का मकान है।

03. अनुसंधान के दौरान मैंने साक्षी मो0 जफर अहमद, मो0 फारूख आजम, गुलशन कुमार का बयान दर्ज किया। जख्मी टिपु सुल्तान का बयान दर्ज किया। जख्मी को न्यायिक हिरासत में भेजा। जख्म प्रतिवेदन को केस डायरी में उतारा। अन्य अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु उचित स्टेप लिया।जख्मी टिपु सुल्तान का आगे का जख्म प्रतिवेदन भी प्राप्त किया।

04. अनुंसधान के उपरांत पर्याप्त साक्ष्य पाकर आरोप पत्र संख्या 280/2013 दिनांक 31.10.2013 भादवि की धारा 341, 323, 307, 385, 504, 506, 34 के अंतर्गत अभियुक्त शहनवाज उर्फ सिकन्दर के विरूद्व दायर किया। आगे का पूरक अनुसंधान जारी रहा। यह आरोप पत्र मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। इसे पहचानती हूँ। इसे प्रदर्श संख्या 2 अंकित किया जाता है।

05. अभियुक्त सिकन्दर को मैं पहचानती हूँ। आज न्यायालय में उपस्थित है।

प्रतिपरीक्षण सभी अभियुक्तो की तरफ सेः—

06. घटनास्थल की लम्बाई चौड़ाई नहीं लिखी। घटनास्थल पर खुन वगैरह के निशान के बारे में मैंने नहीं लिखा है। दोनो पक्षो का दस्तावेज नहीं देखा। अभियुक्त के द्वारा किये गए केस का अनुसंधान पदाधिकारी मैं ही थी। दोनो पक्षो को जख्म हुआ।

07. आरोप पत्र मैने संतुष्ट होकर किया। मुदालय के परिवार का बयान नहीं लिया। घटनास्थल का मैप तैयार नहीं किया था।

08. ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटीपूर्ण है।

मेरे द्वारा कम्पयूटर पर लिखवाया गया।

(एम.पी सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, अष्ठम,भागलपुर
20.09.2019

(एम.पी सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,अष्ठम, भागलपुर
20.09.2019

पढ़कर सही पाकर हस्ताक्षर किया।
गवाह का हस्ताक्षर

टंकित
बयान लेखक
20.09.2019

Court of M.P. Singh, A.D.J-VIII, Bhagalpur

S.T-358/15

05-07-19 — वाद के एक मात्र अभियुक्त की ओर से हाजरी दी गई। गवाह अनुपस्थित है। अभियोजन साक्षी सं०-1 टिंकू कुमार का परीक्षण एवं पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया उन्मुक्त किया गया।

दिनांक 23.8.19 वास्ते साक्ष्य हेतु अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करें।

[illegible]
A.D.J-VIII

23.8.19 — वाद के एक मात्र अभियुक्त की ओर से हाजरी दी गई। गवाह अनुपस्थित है। दिनांक 20.9.19 को वास्ते [illegible] अभियोजन [illegible] साक्ष्य प्रस्तुत करें।

[illegible]
[illegible]

20.9.19 — वाद के एक मात्र अभियुक्त [illegible] उपस्थित है। अभियोजन साक्षी सं. [illegible] आरती का परीक्षण के दौरान [illegible] एवं [illegible] का प्रदर्श-1 एवं 2 अंकित किया गया। [illegible] की ओर से पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया उन्मुक्त किया गया।

दिनांक 3.10.19 को वास्ते अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करें।

[illegible]
[illegible]